रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022021-224870
CG-DL-E-02022021-224870

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2021/माघ 12, 1942
No. 57] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2021/MAGHA 12, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 95(अ).— केन्द्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) इसमें (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड, (ढ), (ण) और (त) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियम, 2013 (इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) संशोधन, नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियम, 2013 में, नियम (5) में, उपनियम (16) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

" (17) राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशाकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड/ आई एस ओ : आई ई सी 17025: 2017 द्वारा बाट एवं माप के अंशांकन हेतु प्रत्यायित प्रयोगशालाएं जो नियम 5 के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरुप हैं, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन की शर्त के अध्यधीन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में अधिसूचित किए जाने के पात्र होंगे। "

[फा. सं. डब्ल्यू.एम-19 (105)/2020]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

470256/2021/O/o SECY-DoC
165549/2021/DD/AD(LM)

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. संख्या 593 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 05 सितंबर 2013 द्वारा प्रकाशित की गई और इसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 94 (अ) तारीख 20 जनवरी, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

G.S.R. 95(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) read with clause (n), (o) and (p) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013 (hereinafter referred to as the rules), namely:-

1. (1) 1. Short title and commencement. --- (1) These rules may be called The Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013, in rule 5, after sub-rule (16), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(17) The National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories/ ISO:IEC 17025:2017 accredited laboratories for calibration of weights and measures which are in conformity with the conditions specified in sub-rule (3) of rule 5 shall be eligible to be notified as Government Approved Test Centre subject to compliance of the provisions of the Act and the rules made thereunder.".

[F.No. WM-19(105)/2020]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. number 593 (E). dated the 5th September, 2013 and last amended *vide* notification number G.S.R. 94 (E). dated the 20th January, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM